31/8/21 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उप0। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.9.2021 को पेश हो।

13/9/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि भूमि पुराना खसरा नं0 828/875/1/2/2 व खसरा नं0 828/875/1/2/1 कुल किता 2 रकबा 0.90 हैक्टे0 तन पाटन स्थित है जिनके नवीन खसरा नं0 946/2 रकबा 0.40 हैक्टे0 व खसरा नं0 946/4 रकबा 0.50 हैक्टे0 बने है जिनकी तरमीम करते समय ख0 नं0 946/2 को पश्चिमि ओर व ख0 नं0 946/4 को पूर्वी ओर नक्शे में गलत दर्शाया गया है। जबकि पुराने राजस्व नक्शे में 946/2 को दक्षिणि ओर (सडक की ओर) व 946/4 को उत्तरी ओर सही दर्शाया गया है। अत राजस्व कार्मिकों ने पुराने नक्शे व मौके के वीपरीत की गयी है जो काबिल दुरुस्ती है। अत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुराना खसरा नम्बरान के अनुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे नामा0 स0 960 व 975 की प्रतिया जिनकी पुश्त पर नक्शा अंकित है, मिलान क्षेत्रफल, आपसी सहमति से खाता विभाजन पत्रावली निर्णय 26.12.2007 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट लिये जाने पर जरिये पत्रांक 3048 दिनांक 24.08.2021 नायब तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसमे गत राजस्व नक्शा व नामा0 की पुश्त पर अंकित नक्शा अनुसार दुरुस्ती कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया गया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व रिपोर्ट नायब तहसीलदार का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि प्ररम्भ मे मूल खसरा नं0 828/875/1 रकबा 2.07 हैक्टे0 था जिसके आपसी सहमति से खाता विभाजन से तीन बट्टा नम्बर बनकर ख0नं0 828/875/1/2 प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज हुआ। तत्पश्चात दान पत्र से 0.50 हैक्टे भूमि प्रार्थी संस्था के नाम होने से जरिये नामान्तरकरण सं0 975 दिनांक 05.02.2008 नये बट्टा नम्बर 828/875/1/2/1 रकबा 0.40 हैक्टे0 व 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 हैक्टे0 बने व खसरा नं0 828/875/1/2/2 रकबा 0.50 हैक्टे0 की खातेदारी प्रार्थी संस्था के नाम दर्ज हुयी। इस नामा0 की पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा बनाया जाकर उत्तर दिशा में 828/875/1/2/2 व दक्षिणि दिशा में 828/875/1/2/1 का सही रुप से अंकन किया गया है। मुताबिक रिकार्ड पुराने खसरा नं0 828/875/1/2/2 से नया खसरा नं0 946/4 रकबा

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
...काथाना (सीकर)

0.50 हैक्टे0 व पुराने खसरा नं0 828/875/1/2/1 से नया खसरा नं0 946/2 रकबा 0.40 हैक्टे0 बने है। जिनके वर्तमान नक्शे में नामान्तरकरण की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार क्षैतिज (पूर्व- पश्चिम)तरमीम नही होकर वर्टीकल (उत्तर-दक्षिण) तरमीम की हुयी है जो कि गलत है। नायब तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नं0 946/4 रकबा 0.50 हैक्टे0 व 946/2 रकबा 0.40 हैक्टे0 की तरमीम नामा0 स0 975 दिनांक 05.02.2008 की पुश्त पर अंकित अनुसार क्षैतिज (पूर्व- पश्चिम) तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सी...)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा हाल खसरा नं0 946/4 रकबा 0.50 हैक्टे0 व 946/2 रकबा 0.40 हैक्टे0 की तरमीम नामा0 स0 975 दिनांक 05.02.2008 की पुश्त पर अंकित गत खसरा नं0 828/875/1/2/2 व 828/875/1/2/1 अनुसार क्षैतिज (पूर्व- पश्चिम) तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नीमकाथाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:33:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner